टिप्पणी

16

मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य

आजकल ''शिक्षा का अधिकार'', ''सूचना का अधिकार'' तथा ''शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार'' जैसे पदांशों का बार-बार प्रयोग किया जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं। साथ ही, हमें अन्य किसी व्यक्ति से या अपने शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है कि हमारे अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं। परंतु क्या आप सोचते हैं कि सभी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं या कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं? संभवतः नहीं। परंतु इस बात से सब सहमत होंगे कि कुछ अधिकार ऐसे है जिनका प्रत्येक व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे कुछ अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को आवश्यक रूप से प्राप्त होते हैं। वैसे ही, ऐसे कुछ कर्त्तव्य हैं जिनका पालन लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को करना होता है। इसी कारण भारत का संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार ही ''मौलिक अधिकार'' कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में कुछ मुख्य कर्त्तव्य सूचीबद्ध हैं जिनका प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन किये जाने की आशा की जाती है। ये ''मौलिक कर्त्तव्य'' कहलाते हैं। इस पाठ में मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्त्तव्यों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आप सक्षम होंगे :

- मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्त्तव्यों के अर्थ की व्याख्या करने तथा हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी आवश्यकता तथा महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में।
- भारतीय संविधान में दिय गये मौलिक अधिकारों के महत्व का मूल्यांकन तथा उसके अपवादों एवं सीमाओं का विश्लेषण कर पाने में।
- हाल ही में जोड़े गये ''शिक्षा का अधिकार'' के निहितार्थ को समझ पाने में।
- मौलिक अधिकारों तथा मानव अधिकारों के बीच तुलना कर पाने में।
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक तरीको द्वारा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझ पाने में तथा
- मौलिक कर्त्तव्यों के महत्व तथा भारत के एक अच्छे तथा विधि परायण नागरिक के रूप में उनका पालन करने की आवश्यकता समझ पाने में।

16.1 अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का अर्थ तथा महत्व

हम अकसर अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकार शब्द का क्या अर्थ है। अधिकार लोगों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रिया के नियम हैं। ये राज्य और व्यक्ति अथवा समूह के कार्यों पर कुछ सीमाएं तथा दायित्व लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है।

अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अधिकार स्वतंत्रता या हकदारी के कानूनी, सामाजिक अथवा नैतिक सिद्धान्त हैं। कानूनी व्यवस्था, सामाजिक परम्परा अथवा नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अधिकार मूलभूत आदर्श नियम हैं जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देते हैं। अधिकार सामान्यतः समाज अथवा संस्कृति के आधार स्तंभों के रूप में किसी भी सभ्यता के मूल माने जाते हैं। परंतु अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। कर्त्तव्य किसी व्यक्ति से कुछ किये जाने की अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखना माता-पिता का कर्त्तव्य है। आपके भी अपने माता-पिता के प्रति कर्त्तव्य है। अध्यापक का कर्त्तव्य है कि वह छात्रों को शिक्षित करें। वास्तव में अधिकार तथा कर्त्तव्य जीवनरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं, जिनके ठीक से पालन से जीवन सरलता से चल सकता है।

अधिकार तथा कर्त्तव्यों के एक दूसरे के पूरक बन जानें तथा दोनों के ठीक से पालन करने से जीवन बहुत ही आसान बन सकता है। अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं जबकि कर्त्तव्य वे कार्य हैं, जो हम दूसरों के प्रति करते हैं।

इस तरह अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। ये दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े होते हैं, कर्त्तव्य कहलाते हैं। यदि हम यातायात अथवा स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का अधिकार रखते हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति भी इन सेवाओं का उपयोग कर सकें। यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा यह कर्त्तव्य भी है कि हम इसका दुरुपयोग न करें तथा दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचायें।

क्रियाकलाप 16.1

नीचे दिये गये बाक्स में अपने परिवार, दोस्तों तथा पड़ोसियों के प्रति अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को लिखिये।

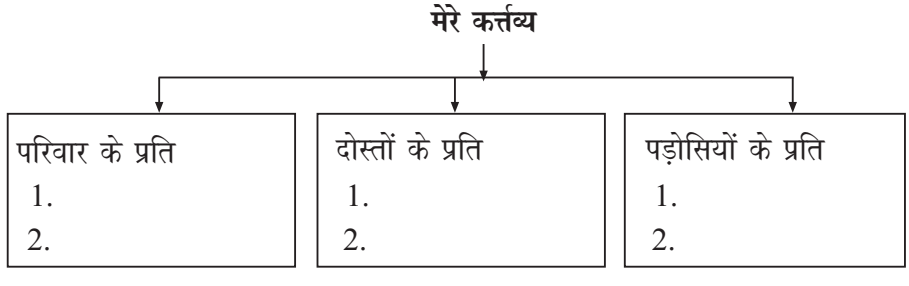

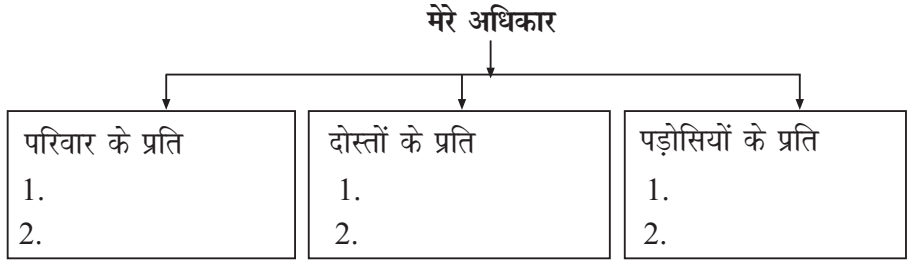

आपके अनुसार आपके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच क्या अन्तर है? क्या वे परस्पर सम्बन्धित हैं? कैसे?

16.2 मौलिक अधिकार

जैसा कि हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए तथा विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। इस अर्थ में अधिकारों की एक लंबी सूची होगी। जबकि ये सब अधिकार समाज द्वारा पहचाने जाते हैं, इनमें से कुछ अति महत्त्वपूर्ण अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता दी गयी है तथा संविधान में स्थान दिया गया है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते है। ये दो कारणों से मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। प्रथम, ये संविधान में उल्लिखित है जिनकी सविंधान गारंटी देता है और दूसरा, ये न्याय योग्य हैं अर्थात न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी हैं। न्याय योग्य होने का अर्थ है कि इन अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। यदि सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो इनको सीमित करता है तो न्यायालय उस कानून को अमान्य कर देते हैं।

भारतीय संविधान के खण्ड III में ऐसे अधिकारों का प्रावधान है। संविधान भारतीय नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये हैं :

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

हालांकि ये मौलिक अधिकार सार्वभौमिक हैं, संविधान में इनके कुछ अपवाद और प्रतिबंध भी दिये गये हैं।

क्या आप जानते हैं

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार दिये गये थे। ऊपर वर्णित छः अधिकारों के अलावा संपति का अधिकार भी दिया गया था। चूंकि इस अधिकार की वजह से समाजवाद तथा संपत्ति के न्यायसंगत वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक समस्याएं आ रही थी अतः 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। हालांकि इसके हटाये जाने का यह अर्थ नहीं कि हम संपति अर्जित करने, रखने और बेचने का अधिकार नहीं रखते। नागरिकों का अभी भी यह अधिकार है। परंतु अब यह मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार मात्र है।

16.2.1 समानता का अधिकार

हमारे जैसे समाज के लिए समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है जहाँ पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए पांच प्रावधान (अनुच्छेद 14-18) किये गये हैं। साथ ही यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भेदभाव पर रोक लगाता है।

(i) कानून के समक्ष समानता : संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। इसका तात्पर्य है कि देश के कानूनों द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि दो व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दण्ड मिलेगा।

(ii) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं : राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक की दुकान, जलपान गृह, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच होगी तथा वह कुओं, तालाबों अथवा सड़कों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकेगा। हालांकि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान व छूट की व्यवस्था की जा सकती है।

(iii) सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता : सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्य के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं। वरीयता तथा योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे। हालांकि उस के कुछ अपवाद हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए रोजगार में आरक्षण के विशेष प्रावधान किये गये हैं।

चित्र 16.1 लैंगिक भेदभाव के बिना कार्यालयों में काम करते लोग

(iv) छुआछूत का उन्मूलन : किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानून के अंर्तगत दण्डनीय बनाया गया है। यह प्रावधान ऐसे लाखों भारतीयों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए किया गया प्रयास है जो जाति या व्यवसाय के कारण तिरस्कृत रहे हैं। परंतु यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी यह सामाजिक बुराई आज भी बनी हुई है। एक नर्स द्वारा एक मरीज की देखभाल, मां द्वारा अपने बच्चे की सफाई तथा एक औरत द्वारा टॉयलेट की सफाई करने में आप कोई अंतर पाते हैं? टॉयलेट साफ करने को लोग बुरी निगाह से क्यों देखते हैं?

(v) उपाधियों का उन्मूलन : ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सर (नाइटवुड) या राय बहादुर जैसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है क्योंकि ये सब कृत्रिम अंतर पैदा करते थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उत्तम सेवा करने वालों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक और सैन्य पुरस्कार दिये जाते हैं। नागरिक पुरस्कारों के रूप में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पदम भूषण तथा पदम श्री एवं सैन्य पुरस्कार जैसे- वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि प्रदान किये जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पुरस्कार पद्वियां नहीं हैं। शैक्षिक तथा सैन्य पुरस्कार व्यक्ति के नाम के आगे लगाये जा सकते हैं।

चित्र 16.2 नागरिक एवं सैन्य पुरस्कार

क्रियाकलाप 16.2

निम्नलिखित प्रश्नों पर कम से कम अपने पांच सहपाठियों, दोस्तों अथवा परिवार के व्यस्क सदस्यों और पड़ोसियों की राय एकत्रित करें।

1. क्या आप मानते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया आरक्षण उचित है?
2. क्या आप मानते हैं कि अभी भी लोग अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हाथों पानी पीने से मना करते हैं?
3. क्या आप इस बात से सहमत है कि सभी नागरिकों के लिए वास्तविक अर्थ में कानून के समक्ष समानता है?

उनके द्वारा दिये गये उत्तर को नीचे दी गयी सारणी में अंकित करें तथा निष्कर्ष निकालें। इन प्रश्नों के संबंध में अपने स्वयं के मत का भी उल्लेख करें।

प्रश्न	व्यक्तियों के उत्तर				
	प्रथम व्यक्ति	द्वितीय व्यक्ति	तृतीय व्यक्ति	चतुर्थ व्यक्ति	पंचम व्यक्ति
प्रश्न सं 01					
प्रश्न सं 02					
प्रश्न सं 03					

पाठगत प्रश्न 16.1

1. अधिकार और कर्त्तव्य क्या हैं? वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं?
2. निम्नलिखित में से कौन-से कथन समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं हैं तथा क्यों?
   (i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भेदभाव का उदाहरण है।
   (ii) एक पूर्व संघीय मंत्री को भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी गयी है।
   (iii) सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी के लिए खुला रखा गया है।
   (iv) रोजगार के लिये योग्यता धर्म पर आधारित है।
   (v) राय बहादुर सोहन सिंह लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी है।
3. निम्न में से कौन-सा एक छुआछूत का एक प्रकार नहीं हैं?
   (i) धार्मिक स्थानों में प्रवेश के दो दरवाजे होते हैं एक दलितों के लिये तथा दूसरा अन्यों के लिये।
   (ii) एक व्यायामशाला में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं है।
   (iii) गांव के हैंडपंप का प्रयोग दलित अन्य लोगों के साथ करते हैं।
   (iv) एक दलित वर्ग की दुल्हन को शादी के अवसर पर दुल्हन की वेशभूषा पहनने की अनुमति नहीं दी गई।

16.2.2 स्वतंत्रता का अधिकार

आप इस बात से सहमत होंगे कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी की सबसे महत्त्वपूर्ण इच्छा होती है। मानव जाति के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्रता अपेक्षित और आवश्यक है। आप भी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में उल्लिखित हैं। अधिकारों की निम्नलिखित चार श्रेणियां हैं:

II. छः स्वतंत्रताएं - संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित छः स्वतंत्रताएं दी गयी हैं :

(अ) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ब) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता

(स) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता

(ड) भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता

(इ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

(छ) कोई वृति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

उपुर्यक्त स्वतंत्रताओं का उद्देश्य लोकतंत्र के लिए समुचित वातावरण बनाये रखना है। यद्यपि संविधान राज्य को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है:

1. विचार अभिव्यक्ति- स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
2. शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
3. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
4. भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता तथा बस जाने की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
5. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य द्वारा कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं लगायी जा सकती हैं।

II. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण- संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

III. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण : जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

टिप्पणी

IV कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण - जैसा कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा प्रतिरूद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अविध के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखा जाएगा। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरूद्ध व्यक्ति को तीन माह की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

? क्या आप जानते हैं

1. क्या होगा यदि राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंधों के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे? संविधान के अनुसार युक्तियुक्त प्रतिबंध के मामले का निपटारा केवल न्यायालय कर सकते हैं, सरकार नहीं।
2. विदेशियों निवासियों द्वारा केवल कुछ मूलाधिकारों का ही प्रयोग किया जा सकता है सभी का नहीं। उदाहरणार्थ कानून के समक्ष समानता का अधिकार तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं परंतु अन्य मूलाधिकार विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।

पाठगत प्रश्न 16.2

1. भारतीय संविधान द्वारा कौन-सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गयी हैं?
2. निम्नलिखित मामलों में कौन-सी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है?
   (i) राज्य नीति द्वारा विशेष राजीनतिक दल के नेता को बिना किसी कारण के सीमापार कर राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।
   (ii) कामगारों को संगठित होकर अपनी मांगों को प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं देना।
   (iii) लोगों को अपने राज्य को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने के लिए दबाव डाला जाये।
   (iv) मोची के बेटे को गांव में मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाती।
   (v) किसी राजनीतिक दल को सार्वजनिक सभा करने की अनुमति नहीं दी जाती।
3. अपराधों के लिए दोषसिद्धि, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के लिए संविधान में क्या उपबंध किये गये हैं।

क्रियाकलाप 16.2

नीचे संविधान द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली स्वतंत्रताएं तथा राज्य द्वारा लगाये जाने वाले प्रतिबंध दिये गये है। स्वतंत्रता के युक्तियुक्त प्रतिबंध दिये गये हैं। स्वतंत्रता का युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ मिलान कीजिए। क्या आप मानते हैं कि ये प्रतिबंध उचित हैं? अपने विचार के पक्ष में कारण दीजिए।

स्वतंत्रताएं	युक्तियुक्त प्रतिबंध
1. विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	(अ) हिंसा को भड़काने के लिए व्यक्ति/समूहों के भ्रमण पर प्रतिबंध
2. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता	(ब) जुआ, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ के व्यापार जैसे कारोबार की अनुमति नहीं देना।
3. शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता	(स) हवाई अड्डे के पास निवास स्थान के लिए मनाही
4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता	(द) लोगों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता	(य) आतंकवादी गतिविधियों की सहायता करने के लिए संगम के निर्माण की मनाही
6. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता	(र) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार भाग लेना

16.2.3 शोषण के विरूद्ध अधिकार

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में कितनी तरह से शोषण किया जाता रहा है? आपने छोटे बच्चे को चाय की दुकान पर काम करते हुए देखा होगा या गरीब और निरक्षर व्यक्तियों को अमीर लोगों के घरों में जबरदस्ती काम कराते हुए देखा होगा। पारम्परिक रूप से, भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है जो शोषण को कई रूपों में प्रोत्साहित करता रहा है। इसलिए संविधान में शोषण के विरूद्ध प्रावधान दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण के विरूद्ध अधिकारों को दिया गया है। ये प्रावधान निम्न हैं:

1. **मानव के दुर्व्यापार तथा बलात श्रम का प्रतिषेध** - मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

क्या आप जानते हैं

1. मानव के दुर्व्यापार से अर्थ है मानव को एक वस्तु के रूप में बेचना और खरीदना। मानव व्यापार, मुख्य रूप से नव युवतियों, लड़कियाँ तथा बालकों का व्यापार एक गैर कानूनी व्यापार के रूप में आज भी जारी है।

2. पूर्व में विशेषतौर पर सामंतवादी भारतीय समाज में, गरीब तबकों तथा पददलित वर्गों के व्यक्ति जमींदारों तथा अन्य बलशाली लोगों के लिए मुफ्त में काम करते थे। इस तरह का चलन बेगार या बलात श्रम कहलाता था।

3. **कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबेध** - जैसा कि संविधान में दिया गया है चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जायेगा या किसी अन्य जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जायेगा। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में युगों से चल रहे बाल श्रम जैसी प्रमुख गंभीर समस्या से छुटकारा पाना है। बच्चे समाज की परिसम्पत्ति हैं। खुशहाल बचपन तथा शिक्षा प्राप्त करना उनका आधारभूत अधिकार है। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है तथा आपने भी देखा होगा कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अनेक स्थानों पर बालश्रम की समस्या आज भी देखी जा रही है। इस दुर्भावना को इसके विरोध में जनमत के आधार पर ही दूर किया जा सकता है।

चित्र 16.3 जोखिम भरी परिस्थिति में काम करते हुए बच्चे

क्रियाकलाप 16.3

गोनू और सोनू जो क्रमशः 9 व 11 साल के हैं, झारखण्ड के एक दूरवर्ती गांव से हैं। उनके पिता ने उनको दो-दो हजार रुपये में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के एक चूड़ी निर्माता को बेच दिया। उन्हें वहाँ बहुत ही अस्वास्थ्यकर तथा संकटमय परिस्थितियों में पहले से काम कर रहे अन्य बच्चों के साथ जबरन काम पर लगाया गया। उनको पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था, न ही सोने के लिए पर्याप्त समय। यदि उनको कोई चोट लग जाती अथवा जल जाते या बीमार हो जाते तो भी उनको मारा जाता, उत्पीड़ित किया जाता तथा बलपूर्वक 18-20 घण्टे तक काम करवाया जाता था। कुछ बच्चे जो वहां से बचकर भाग गये वे अन्य शहरों में भीख मांगने, चोरी करने अथवा अन्य छोटे कामों में लग गये। उनकी हमेशा इच्छा रही कि वे अपने माता-पिता से मिलें परंतु वे ऐसा कभी नहीं कर पाये।

समाचार पत्र में छपी उपरोक्त कहानी को पढ़िये तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. इस कहानी में कौन-से मूलाधिकारों का उल्लंघन हुआ है?
2. उन माता-पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया अथवा ऐसी परिस्थितियों की तरफ धकेल दिया?

3. बच्चों को ऐसे शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिएं?

चूड़ी फैक्ट्री में लंबे समय तक काम कर रहे गोनू तथा सोनू की जगह अपने आप को रखिये। सहायता पाने के लिये तथा अपनी परिस्थितियों में बदलाव के लिए आप क्या कर सकते हैं?

16.2.4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना के एक उद्देश्य के रूप में ''नागरिकों के लिए विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने'' की घोषणा की गयी है। चूंकि भारत में अनेक धर्म है, जहाँ हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य समुदाय साथ-साथ रहते हैं, संविधान में भारत को 'पंथनिरपेक्ष राज्य' घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। परंतु नागरिकों को अपनी पसंद से किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता दी गयी है। परंतु इससे अन्य लोगों के धार्मिक विश्वासों अथवा आराधना पद्धतियों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्रता विदेशियों को भी प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 25-28 में उपबंध किये गये हैं :

1. **अन्तःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता** : सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि बल पूर्वक अथवा लालच देकर किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का धर्म परिवर्तन कराया जाये। साथ ही, कुछ अमानवीय, गैरकानूनी तथा अंधविश्वासी चलन पर रोक लगा दी गयी है।

   देवी-देवताओं तथा किसी आलौकिक शक्तियों को प्रसाद स्वरूप पशुबलि या नरबलि जैसे चलन पर रोक लगा दी गयी है। इसी तरह, सती प्रथा के नाम पर विधवा को अपने पति के शव के साथ (इच्छा से अथवा बलपूर्वक) जिंदा जलाने पर भी रोक लगा दी गयी है। विधवाओं को दूसरी शादी की अनुमति नहीं देना अथवा सिर का मुण्डन करना अथवा सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर करना अन्य सामाजिक बुराई है जो धर्म के नाम पर बलपूर्वक की जा रही है। ऊपर उल्लेखित प्रतिबंधों के अलावा राज्य के पास धर्म से जुड़ी हुईं आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य पंथनिरपेक्ष गतिविधियों को संचालित करने की शक्ति होती है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य द्वारा इस अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाये जा सकते हैं।

2. **धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता** : लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को (क) धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और संचालन का (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का (ग) चल-अचल सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और (द) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

3. **किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता** : किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशिष्ठ धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या संचालन पर व्यय करने के लिए विशेष तौर पर उपयोग किया जाय।

4. **कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रताः** पूर्णतः राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। यद्यपि यह ऐसी शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किन्तु जो किसी ऐसे न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। परंतु राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह नाबालिग है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

पाठगत प्रश्न 16.3

1. 'शोषण के विरूद्ध अधिकार' को मूलाधिकार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिएः
   (अ) बिना किसी भुगतान के किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करना
   (ब) मानव खरीद फरोक्त
3. आपके पड़ोस में वास्तविक जीवन में किये जा रहे शोषण की किन्हीं चार स्थितियों का उल्लेख कीजिए।

16.2.5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

भारत संस्कृति, लिपि, भाषा एवं धर्मों की विविधता लिये हुए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि हम जानते है लोकतंत्र बहुमत का शासन है। परंतु इसके सफलता पूर्वक संचालन के लिए अल्पसंख्यक भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण भी आवश्यक हो जाता है ताकि बहुमत के शासन के प्रभाव में अल्पसंख्यक उपेक्षित और कमजोर महसूस न कर सकें। चूंकि लोग अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व महसूस करते हैं, इसलिए एक विशेष अधिकार जिसे सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, मूलाधिकार अध्याय में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 29-30 में इस संबंध में प्रावधान किये गये हैंः

1. **अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण :** किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।

2. **शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार :** धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि

द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाये। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

क्या आप जानते है

राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का अर्थ अल्पसंख्यक नहीं है। राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सिख पंजाब में बहुसंख्यक है परंतु वे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक है। इसी तरह तेलगू, कन्नड़ तथा बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग भारत के अधिकांश राज्यों में अल्पसंख्यक है परंतु अपने स्वयं के राज्यों अर्थात आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिमी बंगाल में नहीं।

16.2.6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

चूंकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, इसी तरह वे प्रत्याभूत हैं। ये प्रवर्तनीय हैं, यदि किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सहायता के लिए न्यायालय में जा सकता है। परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में मूलाधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन एक विचारणीय विषय बन गया है। यहीं कारण है कि हमारा संविधान विधायिका तथा कार्यपालिका को इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देता। संविधान हमारे मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लिखित उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यदि हमारे किसी मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय द्वारा न्याय की मांग कर सकते हैं। हम सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं जो इन मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश अथवा रिट जारी कर सकता है।

16.2.7 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.)

शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूलाधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया। लंबे समय से उसकी मांग की जा रही थी ताकि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे (और उनके माता-पिता) मूलाधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का दावा कर सकें। देश को निरक्षरता से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। परंतु इसे जोड़ा जाना अर्थहीन बना रहा, क्योंकि 2009 तक इसे लागू नहीं किया जा सका। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों को जो भारत में स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें स्कूलों तक लाना तथा उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जो कि उनका अधिकार है, सुनिश्चित करना है।

पाठगत प्रश्न 16.4

1. संविधान द्वारा प्रत्याभूत प्रमुख सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कौन-से हैं?

टिप्पणी

2. दिल्ली में निवास कर रहे तमिल, कन्नड़, तथा तेलगु बोलने वाले लोग बहुत से अल्पसंख्यक समुदायों में से हैं। अपनी विशिष्ट भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए वे क्या कर सकते हैं?

3. सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थितियां नहीं आती है।

   (अ) अपनी विशिष्ट भाषा को संरक्षित करना

   (ब) अल्पसंख्यकों को निधि उपलब्ध कराने में किसी तरह का भेदभाव न किया जाना

   (स) अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने का अधिकार

   (द) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों में बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश देना चाहिए।

4. ''संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे प्रमुख मूल अधिकार है।'' क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

16.3 मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार

आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए मूल अधिकार वास्तव में बहुत आवश्यक हैं। हम यह भी जानते हैं कि अच्छा परिवेश, अच्छी जीवन दशाएं तथा मानवीय गरिमा के संरक्षण के लिए मानव हमेशा से ही अन्याय, उत्पीड़न तथा असमानता के विरोध में संघर्षमय रहा है। सभी मानवों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र में सुनिश्चित किया जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। कुछ मानवाधिकार हैः कानून के समक्ष समता, भेदभाव से मुक्ति, जीवन, स्वतंत्रता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार, अबाध भ्रमण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शादी एवं परिवार बनाने का अधिकार, विचारों, अन्तःकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मलेन और संघ बनाने का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि। यदि आप उपरोक्त अधिकारों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये मानवाधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं।

यही कारण है कि इनको भारतीय संविधान के मूलाधिकारों के अध्याय में स्थान दिया गया है। कुछ मानवाधिकार जो मूलाधिकारों के अध्याय में उल्लेखित नहीं है उन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ताकि इन अधिकारों को भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्याभूत किया जा सके।

? क्या आप जानते हैं

मानव अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण हैंः सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि ये सर्वत्र सभी मानवों से संबंधित है; मूलभूल इसलिए क्योंकि ये अपरिहार्य हैं; पूर्ण इसलिए क्योंकि ये वास्तविक जीवन के आधार हैं।

1. मूल कर्त्तव्य

मूल अधिकारों को जान लेने के बाद, आपने महसूस किया होगा कि प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्त्तव्य कहा जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कर्त्तव्य भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किये गये हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। यह आशा की गयी थी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने कर्त्तव्यों का पालन अपनी इच्छा से करेंगे। परंतु जैसी आशा की गयी थी वैसा हुआ नहीं। इसलिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 51अ में दस मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया। यद्यपि जहाँ मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, वहीं मौलिक कर्त्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाये गये हैं। इसका अर्थ है कि मौलिक कर्त्तव्यों के उल्लंघन होने पर अर्थात मौलिक कर्त्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किये जाने पर नागरिकों को दण्डित नहीं किया जायेगा। निम्नलिखित दस मूल कर्त्तव्य संविधान में दिय गये हैं-

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वे -

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

(घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

(च) हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें।

(ध) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त 2009 में शिक्षा में अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद एक नया कर्त्तव्य और जोड़ा गया है। ''प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6-14 वर्ष के आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें।''

16.3.1 मौलिक कर्त्तव्यों की प्रकृति

ये कर्त्तव्य प्रकृति से आचार संहिता हैं। चूंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अतः इनके पीछे कोई कानूनी अनुशास्ति नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, इनमें कुछ कर्त्तव्य अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए मिश्रित संस्कृति, गौरव शाली परम्परा, 'मानववाद' अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष आदि का अर्थ एक सामान्य नागरिक की समझ से परे है। वे इन कर्त्तव्यों के महत्व को तभी समझ सकते हैं जब इनको स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया जाये।

वर्तमान सूची की भाषा को स्पष्ट करने तथा उन्हें यथार्थवादी एवं अर्थवान बनाये जाने और साथ ही कुछ आवश्यक और यथार्थवादी कर्त्तव्यों को जोड़ने के लिए संशोधन की मांग समय-समय पर की जाती रही है। जितना संभव हो सके इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया जाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं

1. बच्चों का उचित पालन-पोषण तथा माता-पिता की वृद्धावस्था में उचित देखभाल को 1977 में सोवियत संविधान की मूल कर्त्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था।
2. बच्चों को शिक्षित करने, सार्वजनिक कल्याण में दखल न देने, कर अदा करने तथा काम का अधिकार जैसे कर्त्तव्य जापान के संविधान में जोड़े गये हैं।

पाठगत प्रश्न 16.5

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों पर कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय प्रलेख तैयार किया और पारित किया?
2. ऐसे चार मूल अधिकारों की सूची बनाएं जो मानव अधिकार भी हैं।
3. निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिये और प्रत्येक चित्र से जुड़े हुए अथवा संबंधित एक मूल कर्त्तव्य को पहचानिए और उस की सूची बनाइये।

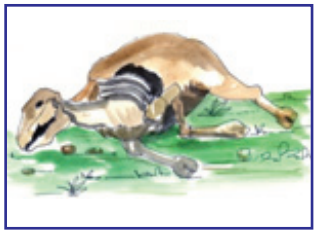

चित्र में सम्मिलित हैं: (अ) पत्ते रहित पेड़, गिरे हुए पेड़, मृत पशु आदि। (ब) कुछ जर्जर स्मारक (स) इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिन्दुस्तान अमर रहे जैसे इश्तहारों के साथ जुलूस में कूच करते लोग। (द) सीमा की चौकसी अथवा गश्त करता हुआ सैनिक (य) विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल।

4. यदि आप स्वतंत्रता दिवस पर चार मूल कर्त्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते है तो आप के अनुसार वे चार कौन से अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य हैं और क्यों?

टिप्पणी

आपने क्या सीखा

- अधिकार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दावे हैं जो उसके स्वयं के विकास के लिए आवयश्यक होते हैं तथा राज्य या समाज द्वारा मान्यताप्राप्त है। कर्त्तव्य व्यक्ति से नैतिक और कानूनी दायित्वों सहित, किन्हीं कारणों के कुछ करने की अपेक्षा करते हैं। अधिकार तथा कर्त्तव्य अन्योन्याश्रित हैं।
- जहां समाज द्वारा सभी अधिकारों को मान्यता दी जाती है, राज्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकृति दी जाती है जिनका संविधान में उल्लेख किया जाता है, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं।
- संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को निम्न छः मौलिक अधिकार प्रत्याभूत किये गये हैं :

  (i) समता का अधिकार (ii) स्वतंत्रता का अधिकार (iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार (iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (i) सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार तथा (v) संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकार यद्यपि सार्वभौमिक है परंतु संविधान में इनके कुछ अपवाद तथा प्रतिबंध दिये गये है।
- संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया गया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषण पत्र सुनिश्चित किया गया। इनमें से अनेक मानवाधिकारों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है ताकि इनका कार्यान्वयन सरकार का कानूनी कर्त्तव्य बन सके। ऐसे मानवाधिकारों, जिनका समावेश मूलाधिकारों में नहीं हो सका, उन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समाविष्ट किया गया है।
- 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 51 अ में दस मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के विपरीत, जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मूल कर्त्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ है कि मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लंघन होने पर अर्थात ठीक से पालन नहीं किये जाने पर नागरिकों को दण्डित नहीं किया जायेगा।

पाठांत प्रश्न

1. हमारे दैनिक जीवन में मूलाधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। किस मूल अधिकार को आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं तथा क्यों?
2. सविंधान द्वारा हमें प्रत्याभूत छः मूल अधिकारों को लिखिए।
3. शिक्षा का अधिकार भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहां तक सक्षम होगा? व्याख्या कीजिए।
4. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
5. स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाये गये किन्हीं तीन प्रतिबंधों पर प्रकाश डालिये। आप के मत में क्या प्रतिबंध न्यायसंगत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

टिप्पणी

6. क्या आप सहमत हैं कि भारत के संविधान में मूलाधिकारों में मानवाधिकार परिलक्षित होते हैं?

7. संविधान में उल्लिखित मूल कर्त्तव्य क्या हैं? आपके मत में इनमें से कौन से अधिक महत्वपूर्ण हैं और क्यों?

8. निम्नलिखित कथनों को पढिये : इनमें से सही कथनों की पहचान कीजिये तथा जो कथन ठीक नहीं है उनमें आवश्यक परिवर्तन कर पुनः लिखिए।

   (i) सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है।

   (ii) प्रत्येक सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय धार्मिक शिक्षा दे सकता है।

   (iii) किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के छात्र धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किये जा सकते।

   (iv) बहु-धार्मिक राज्य के रूप में भारत किसी धर्म के पक्ष में विशेषाधिकार अथवा पक्षपात कर सकता है।

   (v) महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा कर-अधिभार लगाया जा सकता है।

   (vi) उपासना के स्थलों का निर्माण कहीं भी किया जा सकता है चाहे उनसे राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं प्रभावित ही क्यों न होती है।

9. कॉलम 'अ' में दिये हुए अधिकारों के साथ कॉलम 'ब' में दिये गये संबंधित कर्त्तव्यों का मेल कीजिए।

'अ'	'ब'
(अ) संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।	क) यह हमारा कर्त्तव्य है कि अन्य लोगों को उनके प्रयोग के लिए मना न करें।
(ब) यदि हमें अपनी पसंद के धर्म को मानने का अधिकार है तो;	(ख) यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें तथा अनुशासन बनायें रखें।
(स) यदि हमें सार्वजनिक उद्यान, कुआं अथवा तालाब का प्रयोग करने का अधिकार है तो	(ग) यह दूसरों का कर्त्तव्य है कि वे हमें न मारें तथा कोई हानि न पहुचायें।
(द) यदि हमें जीवन का अधिकार है तो;	(घ) यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम दूसरों को भी उनके धर्म को मानने के लिए अनुमति दें।
(च) यदि हमें शिक्षा का अधिकार है तो	(ड) हमें यह याद रखना चाहिए तथा दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं।

परियोजना

अपने पड़ोस तथा आसपास के स्थानों का सर्वेक्षण करें तथा भिक्षावृत्ति या कचरा उठाने जैसे छोटे-मोटे कार्य करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के 3-5 बच्चों की पहचान कीजिये। उन कारणों की पहचान

कीजिए जिनकी वजह से आज वे इन हालात में हैं। अपने निरीक्षण के आधार पर तथा अपने से बड़ो के साथ अथवा कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ की गयी चर्चा के आधार पर निम्न तालिका को भरें।

क्र.स.	बच्चे का नाम	कठिन परिस्थितियों में डालने वाले कारक	जिसके माध्यम से मैं/आप उनकी सहायता कर सकते हैं।
1			
2			
3			
4			
5			

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

16.1

1. अधिकार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दावे हैं जो उसके स्वयं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कर्त्तव्य व्यक्ति से कुछ किये जाने की आशा रखते हैं। अधिकार और कर्त्तव्य अन्योन्याश्रित है। यदि अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ठीक से पालन किया जाये तो जीवन आसान बन जाता है तथा ये एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं जबकि कर्त्तव्य वे कार्य हैं जो हम दूसरों के प्रति करते हैं। इस तरह अधिकार, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। वे दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े हैं कर्त्तव्यों के रूप में होते हैं।

2. (i) क्योंकि आरक्षण का उपबंध भेदभाव का कारण नहीं है

   (ii) क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान है तथा व्यक्ति की स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

   (iii) समानता के अधिकार के अनुरूप है।

   (iv) क्योंकि किसी भी दशा में धर्म को रोजगार का आधार नहीं माना जाता है।

   (v) क्योंकि भारत के संविधान में सभी पदवियों को समाप्त कर दिया गया है। श्रीमान सोहन सिंह राय बहादुर की पदवी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

3. (iii) दलित वर्ग के लोग अन्य व्यक्तियों के साथ गांव के हैंडपंप का प्रयोग कर सकते हैं।

टिप्पणी

16.2

1. (क) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

   (ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा और सम्मलेन की स्वतंत्रता

   (ग) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता

   (छ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता

   (ड) भारत के किसी राज्यक्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

   (घ) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

2. (i) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता

   (ii) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता

   (iii) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

   (iv) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

   (v) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता

3. अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 22।

16.3

1. पारंपरिक रूप से भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है जिसने अनेक रूपों में शोषण को बढ़ावा दिया। यहीं कारण है कि संविधान में शोषण के विरोध में प्रावधान किये गये हैं।

2. (अ) बेगार

   (ब) मानव-व्यापार

3. अपने अनुभवों के आधार पर जीवन की परिस्थितियों का उल्लेख करें जैसे चाय की दुकान पर काम करता हुआ 10 साल का बालक।

16.4

1. संविधान में अनुच्छेद 29-30 में ही प्रमुख उपबंध किये गये हैंः अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण तथा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्संख्यक वर्गों का अधिकार।

2. कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, को इसे संरक्षित करने का अधिकार है।

3. (द) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों में बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश देना चाहिए।

4. मूल अधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन हमारे दैनिक जीवन का एक विचारणीय विषय बन गया है। यही कारण है कि हमारा संविधान विधायिका तथा कार्यपालिका को इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देता है। यह अधिकार हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।

16.5

1. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1948 ई. में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र सुनिश्चित किया है।

2. समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तथा संस्कृति वे शिक्षा संबंधी शिक्षा अधिकार।

3. (अ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

   (ब) हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें।

   (स) संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

   (द) देश की रक्षा करें तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

   (य) भारत के सभी लोगों में समरूपता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।

4. (अ) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

   (ब) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

   (स) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।

   (ड) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

   ये मौलिक कर्त्तव्य संविधान की मूल भावना तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्राप्य लक्ष्यों पर केन्द्रित हैं।